

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

रायपुर, मुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 — ज्येष्ठ 10, शक 1940

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :-

तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कोण्डागांव	श्री नेमीचंद देवांगन
2.	नारायणपुर	श्री विजय कुमार कुम्रेटी

- (1) यह चयन सूची, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं वस्तावेजों के अनुसार तैयार की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, चयन समिति को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.
- (2) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी.
- (3) यह समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/ समय पर सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
- (4) समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी.

- (5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (6) सरल क्रमांक 5 के अतिरिक्त, समिति के सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगे।
- (8) यदि चयनित सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव।

Naya Raipur, the 9th May 2018

NOTIFICATION

No.F 7-5/2012/MBV/50. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State Level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) of the table mentioned below as Members in the Child Welfare Committee of the corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :-

TABLE

S. No.	Name of the District	Name of the Member of the Child Welfare Committee
(1)	(2)	(3)
1.	Kondagaon	Shri Nemichand Dewangan
2.	Narayanpur	Shri Vijay Kumar Kumetee

- (1) This Selection list is prepared according to the application and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, Selection Committee shall have the rights to cancel the selection of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) This Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), in which presence of members on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) The Committee shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.
- (5) Appointment of the Members of the Child Welfare Committee may be terminated in accordance with the provisions of sub-section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).
- (6) Besides serial No. 5 Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.

- (7) Committee shall function for the welfare and protection of the children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (8) If the selected member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. GEETHA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :-

तालिका

स.क्र. (1)	जिले का नाम (2)	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य (3)
1.	रायपुर	1. श्रीमती प्रतिमा सिंह चंदेल 2. श्री पंकज कुमार गुप्ता

- (1) यह चयन सूची, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के अनुसार तैयार की गई है, किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, चयन समिति को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।
- (3) बोर्ड, संग्रहण गृह के परिसर में अथवा या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (4) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (5) सरल क्रमांक 4 के अतिरिक्त, समिति के सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (6) चयनित सदस्य, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगे।
- (7) यदि चयनित सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में हैं, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान व्यवसाय/सेवा का कार्य स्थगित करना होगा।
- (8) किशोर न्याय बोर्ड में चयनित अधिवक्ता, बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

Naya Raipur, the 9th May 2018

NOTIFICATION

No. F 7-5/2012/MBV/50. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State Level Selection Committee, the State Government, hereby, appoints the following person mentioned in column number (3) of the table mentioned below in the Juvenile Justice Board of the corresponding District mentioned in column number (2) as Social Members, subject to the conditions mentioned below namely :-

TABLE

S.No.	Name of the District	Name of the Social Member of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)
1.	Raipur	1. Smt. Pratima Singh Chandel 2. Shri Pankaj Kumar Gupta

- (1) This Selection list is prepared according to the application and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, Selection Committee shall have the rights to cancel the selection of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Members of the Juvenile Justice Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) The Board shall hold its meetings in the premises of the Observation Home or at any place decided by the District Child Protection Committee, in which presence of the Members on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) Appointment of the Members of the Juvenile Justice Board may be terminated in accordance with the provisions of sub-section (7) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).
- (5) Besides serial No. 4, members of the Board may resign at any time by giving one month's notice.
- (6) Selected member shall function according to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (7) If the selected member is in a profession/service which can affect his work as a member of the Juvenile Justice Board then he shall have to postpone his work of existing profession/service.
- (8) Advocates selected in the Juvenile Justice Board, shall not be able to practice during his/her tenure in the Board and for this they shall have to get their registration/license suspended from the Chhattisgarh State Bar Council for the period of their tenure in Juvenile Justice Board and they have to provide the relevant documents in this regard to the department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. GEETHA, Secretary.